पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2011 ई0 (भाद्रपद 12, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–36

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	367–370	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	295–306	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

अधिसूचना / प्रकीर्ण

04 अगस्त, 2011 ई0

संख्या 1073 / XXX–1–11 / 25(56) / 2002(TC-ii)–राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2005 में संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (संशोधन) नियमावली, 2011

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (संशोधन) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 16 का संशोधन–

उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा), सेवा नियमावली, 2005 के नियम के पश्चात् नया परन्तुक निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्–

''परन्तु यह है कि साधारण वेतनमान में कार्यरत ऐसे अधिकारियों में से जिनके द्वारा मौलिक नियुक्ति की तारीख से 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो, को ज्येष्ठ वेतनमान में चयन साधारण वेतनमान में स्वीकृत पदों की संख्या के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर किया जायेगा। चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा'' :–

(एक)	प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक विभाग	–	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी, जो कि अपर मुख्य राजस्व आयुक्त से निम्न स्तर का न हो	–	सदस्य
(तीन)	प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक द्वारा नामित अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो	–	सदस्य

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1073/XXX-1-11/25(56)/2002/(TC-ii)**, dated August 04, 2011 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

August 04, 2011

No. 1073/XXX-1-11/25(56)/2002/(TC-ii)--In exercise of the powers conferred by the Article 309 of the constitution of India, the Governor is pleased to accord sanction to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Judicial Service Rules, 2005.

THE UTTARAKHAND CIVIL SERVICE (EXECUTIVE BRANCH) (AMENDMENT) RULES, 2011

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called the Uttarakhand Civil Service (Executive Branch) (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of Rule 16--

The following proviso shall be added after rule-16 of the Uttarakhand Civil Service (Executive Branch) Rule 2005; namely--

"Provided that the Selection in the Senior Scale shall be made from those officers who have completed five years of service from the date of substantive appointment in the Ordinary scale subject to the fifty percent of the sanctioned posts of ordinary scale on the basis of seniority subject to rejection of unfit, through Departmental Promotion Committee. The Selection Committee shall be constitute as follows" :--

(i)	The Principal Secretary/Secretary, Government of Uttarakhand Department of Personnel	—	Chairman
(ii)	One Member not below the rank of Addl. Chief Revenue Commissioner nominated by the Chief Revenue Commissioner	–	Member
(iii)	One Member not below the rank of Joint Secretary nominated by the Principal Secretary/Secretary, Government of Uttarakhand, Department of Personnel	–	Member

By Order,

UTPAL KUMAR SINGH,
Principal Secretary.

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रकीर्ण

18 अगस्त, 2011 ई0

संख्या 813/XXVIII–2–2011–81/2007–राज्यपाल, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2010) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम को राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 29–03–2011 को अधिकृत कर लिये जाने के फलस्वरूप, अंगीकार किये जाने की तारीख से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 813/XXVIII-2-2011-81/2007,** dated August 18, 2011 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

August 18, 2011

No. 813/XXVIII-2-2011-81/2007--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of 'the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010" (Central Act 23 of 2010), the Governor is pleased to accord sanction of enforcement in the whole State of Uttarakhand by virtue to adaptation of the said Act from the date of adaptation on 29-03-2011 by the State Legislative Assembly.

By Order.

MANISHA PANWAR.
Secretary.

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

19 अगस्त, 2011 ई0

संख्या 566 / 2011 / 16(100) / XXVII(8) / 11–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नवनियुक्त ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण एतद्द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :–

अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का पद एवं स्थान	नवीन तैनाती का पद एवं स्थान
1. श्री बी0एस0 नगन्याल	डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन), रुद्रपुर	ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना), वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून
2. श्री ए0सी0 राम	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1, देहरादून एवं अतिरिक्त प्रभार डिप्टी कमिश्नर, राज्य प्रतिनिधि, देहरादून	ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून

उपर्युक्तानुसार स्थानान्तरित अधिकारी तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

डा0 हेमलता ढौडियाल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट / 406–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2011 ई0 (भाद्रपद 12, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

पंचायती राज विभाग

विज्ञप्ति

07 जुलाई, 2011 ई0

संख्या 1947 / 23–5(7)(2010–11)–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत उत्तरकाशी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), अधिनियम संख्या XXXIII धारा 143 तथा 239 (2) के अन्तर्गत जिला पंचायत, उत्तरकाशी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को विनियमित करने हेतु उत्तरांचल राजपत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2002 में विज्ञप्ति संख्या 1493 / 23–5(3) / 2001–2002 के अनुसार प्रकाशित वर्तमान उपविधियों / नियमों में पूर्णरूप से संशोधन एवं परिवर्तन जिला पंचायत, उत्तरकाशी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 के अनुसार करते हुए क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के अनुसार इस धारा की प्रयोजनार्थ उन फर्मों / व्यवसायिकों जिन पर उपनियमों का असर पड़ता हो, के अभिज्ञान हेतु विज्ञप्ति की जा रही है।

यदि किस फर्म / व्यक्ति / व्यवसायिकों को इन नियम / उपनियमों के संशोधन एवं परिवर्तन पर कोई आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति से 30 दिन के अन्तर्गत अध्यक्ष / अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी को लिखित रूप में आपत्ति कारण सहित प्रस्तुत कर दें। विज्ञप्ति की तिथि के 30 दिन के बाद प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर कोई विचार नहीं होगा और उपविधियां सक्षम अधिकारी को अन्तिम रूप से स्वीकृति हेतु भेज दी जावेगी। संशोधित उपविधियां उत्तराखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

कॉलम संख्या–1 वर्तमान उपविधियां	कॉलम संख्या–2 संशोधित / प्रस्तावित उपविधियां
उपविधियां संख्या 1–इस उपविधि के अन्तर्गत ग्रामीण बाजार का तात्पर्य उस स्थान से होगा जिस स्थान में सार्वजनिक सड़कों के किनारे कुछ दुकानों के बन जाने से एक छोटा बाजार का आकार ग्रहण कर लिया हो।	उपविधियां संख्या 1–इस उपविधि के अन्तर्गत ग्रामीण बाजार का तात्पर्य उस स्थान से होगा जिस स्थान में सार्वजनिक सड़कों के किनारे, ग्राम, कस्बों में कुछ दुकानों के बन जाने से एक छोटा बाजार का आकार ग्रहण कर लिया हो।
उपविधि संख्या 2–कोई व्यक्ति / फर्म / संस्था आदि जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रामीण बाजार में किसी भी प्रकार के चाय की दुकान, कपड़े की दुकान,	उपविधि संख्या 2–कोई व्यक्ति / फर्म / संस्था आदि जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रामीण बाजार अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उपविधि संख्या 5 में उल्लेखित

परचून की दुकान, शीतल पेय की दुकान, घी, तेल, पूरी–रोटी, बिस्कुट व अन्य किसी भी तरह की दुकान तब तक नहीं कर सकता जब तक उस व्यक्ति संस्था या फर्म द्वारा निर्धारित अनुमति शुल्क अदा कर जिला पंचायत से लाईसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।

उपविधि संख्या 3–उपरोक्त किसी भी व्यवसाय करने के निमित व्यवसायकर्ता को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा :–

(अ) कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार की छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो स्वयं उपविधि वर्णित कोई व्यवसाय करेगा और न किसी ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में नौकर या सहायक के रूप में रख सकता है।

(आ) कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों के बनाने या रखने में ऐसे घातक बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थों को किसी भी प्रकार दूषित या विकृत करता हो अथवा जिन पर बनाया या रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

(इ) खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए रखे गये बर्तन हमेशा पूर्णतः इस प्रकार ढ़क कर रखने होंगे जिससे उन पर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव बैठने न पाये तथा उसमें अन्य हानिकारक पदार्थ मिलने की सम्भावना न हो।

(ई) प्रत्येक लाईसेन्सधारी को अपनी दुकान के सामने एक साईन बोर्ड लगाना पड़ेगा जिन पर दुकानदार का नाम तथा व्यवसाय स्पष्ट लिखा होगा।

उपविधि संख्या 4–अध्यक्ष, जिला पंचायत/मुख्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी/कार्याधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई भी कर्मचारी और सदस्य जिसे जिला पंचायत द्वारा अधिकृत किया गया हो व जिला स्वास्थ्य अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो सफाई निरीक्षक से

व्यवसाय तब तक नहीं कर सकता जब तक उस व्यक्ति/संस्था अथवा फर्म द्वारा उस व्यवसाय हेतु निर्धारित अनुमति/लाईसेन्स शुल्क अदा कर जिला पंचायत से लाईसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।

उपविधि संख्या 3–जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत उपविधि संख्या 5 में उल्लेखित किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने के निमित व्यवसायकर्ता को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा :–

(क) कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार की छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो स्वयं उपविधि वर्णित कोई व्यवसाय करेगा और न किसी ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में नौकर या सहायक के रूप में रख सकता है।

(ख) कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों के बनाने या रखने में ऐसे घातक बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थों को किसी भी प्रकार दूषित या विकृत करता हो अथवा जिन पर बनाया या रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

(ग) खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए रखे गये बर्तन हमेशा पूर्णतः इस प्रकार ढ़क कर रखने होंगे जिससे उन पर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव बैठने न पाये तथा उसमें अन्य हानिकारक पदार्थ मिलने की सम्भावना न हो।

(घ) प्रत्येक लाईसेन्सधारी को अपनी दुकान के सामने एक साईन बोर्ड लगाना पड़ेगा जिन पर दुकानदार का नाम तथा व्यवसाय स्पष्ट लिखा होगा एवं जिला पंचायत के सक्षम अधिकारी/किसी भी कर्मचारी द्वारा लाईसेन्स मांगे जाने पर लाईसेन्स दिखाना होगा।

(ङ) प्रत्येक व्यवसायकर्ता को अपने व्यवसायिक क्षेत्र (दुकान/कार्यालय आदि) के आस–पास सफाई सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था करनी होगी।

(च) प्रत्येक बिक्री/सेवा सम्बन्धी व्यवसाय के व्यवसायकर्ता को अपनी दुकान पर वस्तुओं की मूल्य सूची/सेवा शुल्क की सुस्पष्ट सूची लगानी अनिवार्य होगी।

उपविधि संख्या 4–अध्यक्ष, जिला पंचायत/मुख्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी/कार्याधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई भी कर्मचारी और सदस्य जिसे जिला पंचायत द्वारा अधिकृत किया गया हो व जिला स्वास्थ्य अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो सफाई निरीक्षक से

कम दर्जे का न हो, किसी भी उपयुक्त समय पर किसी भी दुकान में रखे गये पदार्थों का तथा अन्य बिक्री योग्य सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं और उन्हें अधिकार होगा कि वे ऐसे सामान को नष्ट कर दें जो मनुष्यों के उपभोग के योग्य न रह गया हो अथवा जिस सामग्री के ऐसे हो जाने की सम्भावना हो।

उपविधि संख्या 5–प्रत्येक ऐसे व्यवसायकर्ता को जिला पंचायत, उत्तरकाशी को निम्न प्रकार अनुमति/ लाईसेन्स शुल्क अदा करना होगा, जोकि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगा और हर वर्ष 31 मई तक जमा किया जावेगा। यदि कोई व्यवसायकर्ता निर्धारित तिथि तक प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क अदा नहीं करता है तो जिला पंचायत ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था के विरुद्ध वसूली हेतु अन्य कार्यवाही कर सकेगी :–

1.	प्रत्येक कपड़ा परचून की दुकान	80
2.	केवल कपड़े की दुकान पर	65
3.	प्रत्येक सम्मिलित दुकान पर	80
4.	प्रत्येक चाय होटल, हलवाई की सम्मिलित दुकान पर	80
5.	केवल होटल भोजनालय	80
6.	केवल चाय होटल	50
7.	फेरी व्यवसाय पर निम्न प्रकार :–	
	(क) फेरी व्यवसाय कपड़ा पर	150
	(ख) फेरी व्यवसाय बर्तन पर	250
	(ग) फेरी व्यवसाय कैसमीलोन पर	200
	(घ) फेरी चूडी, बिन्दी, प्याले, अचार	80
	(ङ) फेरी प्लास्टिक आदि पर	250
8.	(क) मेडिकल प्रैक्टिसनर/मेडिकल स्टोर	120
	(ख) नाई जिसकी दुकान पर एक कारीगर काम करता हो	30
	(ग) नाई जिसकी दुकान पर दो या दो से अधिक कार्य करते हों	60
	(घ) फर्नीचर की दुकान पर	150
	(ङ) धोबी/कारपेन्टर पर	30
	(च) ड्राईक्लीन की दुकान पर	60
	(छ) फोटोग्राफर/फोटोस्टेट की दुकान पर	100
9.	(क) गोस्त जो जनपद मुख्यालय के तीन कि0मी0 की परिधि पर बेचते हों	2000
	(ख) जनपद के अन्य क्षेत्रों में बेचने पर	1000
	(ग) मछली व्यवसाय पर	300
	(घ) केवल मुर्गियों को जिन्दा बेचने पर	200

कम दर्जे का न हो, किसी भी उपयुक्त समय पर किसी भी दुकान में रखे गये पदार्थों का तथा अन्य बिक्री योग्य सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं और उन्हें अधिकार होगा कि वे ऐसे सामान को नष्ट कर दें जो मनुष्यों के उपभोग के योग्य न रह गया हो अथवा जिस सामग्री के ऐसे हो जाने की सम्भावना हो।

उपविधि संख्या 5–प्रत्येक व्यवसायकर्ता को जिला पंचायत, उत्तरकाशी को निम्न प्रकार अनुमति/ लाईसेन्स शुल्क अदा करना होगा, जोकि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगा और हर दशा में 31 मई तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यवसायकर्ता निर्धारित तिथि तक प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क अदा नहीं करता है तो जिला पंचायत ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था के विरुद्ध वसूली हेतु अन्य कार्यवाही कर सकेगी :–

	होटल/रेस्टोरेन्टस/आवासीय होटल/रेस्टहाऊस	
1.	चाय होटल	300
2.	प्रत्येक चाय होटल/हलवाई की सम्मिलित दुकान पर	500
3.	खाने का होटल (भोजनालय)	500
4.	खाने का होटल (भोजनालय) जिसमें मांस, मछली आदि भी बनाई जाती हो	700
5.	फास्टफूड रेस्टोरेन्टस	500
6.	चाय होटल/कैन्टीन आदि (जिसमें शीतल पेय पदार्थ, बिस्कुट आदि विक्रय के लिए हों)	500
7.	आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले टूरिस्ट लॉज/होटल/रेस्टहाऊस आदि जिसमें एक दिन में–	
	(क) 10 आदमी तक रह सकते हों	1000
	(ख) 10 से अधिक 20 व्यक्ति तक रह सकते हों	1500
	(ग) 20 से अधिक 50 व्यक्ति तक रह सकते हों	2000
	(घ) 50 से अधिक व्यक्ति तक रह सकते हों	2500
8.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम के प्रति विश्राम गृह पर	2000
	नर्सिंग होम/मेडिकल सम्बन्धी	
9.	नर्सिंग होम (20 बैड तक)	2000
10.	नर्सिंग होम (20 बैड से ऊपर प्रति बैड)	50
11.	प्रसूति गृह (20 बैड तक)	3000
12.	प्रसूति गृह (20 बैड से ऊपर)	5000
13.	प्राईवेट अस्पताल	5000
14.	प्राईवेट क्लीनिक	1000
15.	डेन्टल क्लीनिक	1000
16.	पैथोलोजी सेन्टर	1000
17.	एक्स–रे/अल्ट्रासाउण्ड/सी0टी0 स्कैन सेन्टर	1500

10.	(क) अकेला टेलर की दुकान पर	50
	(ख) केवल दो या तीन टेलर पर	100
	(ग) टेलर मास्टर जो तीन से अधिक हो पर	200
	(घ) (I) सब्जी की दुकान	50
	(II) सब्जी की दुकान जो पक्की व बड़ी हो	100
	(ङ) पान बीडी सिगरेट की दुकान पर	50
	(च) लोहार या टमटा की दुकान पर	50
	(छ) ठेली में जो फल व फ्रूट जूस पर	100
11.	(क) सिनेमा घर पर	2000
	(ख) विडियो सेट पर	400
	(ग) चलती फिरती ठेली जैसे–चाय, सब्जी, फल, मूंगफली आदि पर	50
	(घ) प्रत्येक खच्चर पर	50

उपविधि संख्या–6

1.	दलाल/कमीशन एजेन्ट इस प्रकार के अन्य प्रत्येक व्यवसायिक पर	60
2.	तुलैया या पल्लेदार प्रत्येक पर	50
3.	(क) सोने चाँदी के आभूषण की दुकान पर	120
	(ख) आभूषण फेरी बेचने वाले प्रत्येक व्यक्ति	120
4.	(क) प्रत्येक कापी, पुस्तक की दुकान पर	70
	(ख) बुकसेलर की दुकान पर	80
5.	लोहा, सरिया, पीतल, स्टेनलेस स्टील बर्तनों तथा एल्यूमिनियम के बर्तनों की दुकान पर	150
6.	चमड़े तथा चमड़े के जूतों की दुकान पर	100
7.	प्लॉस्टिक चमड़े तथा कपड़े की सम्मिलित दुकान	100
8.	ईंधन हेतु जलाऊ लकड़ी कोयले की दुकान पर	60
9.	पेट्रोल डीजल पम्प या इसी तरह की अन्य दुकान	600
10.	(क) साईकिल मोटर साईकिल मरम्मत दुकान पर	100
	(ख) मोटर गाडियों की मरम्मत के लिए खाली गैरेज की दुकान पर	200

उपविधि संख्या–7

11.	बिसात खाने की दुकान पर	50
12.	बिजली के सामान व मरम्मत की दुकान पर	70
13.	आरा मशीन की दुकान पर	200
14.	(क) रेडियो, घड़ीसाज मरम्मत की दुकान पर	110
	(ख) रेडियो, घड़ी की दुकान पर	120
15.	(क) प्रिंटिंग प्रेस 1 से 5 हार्स पावर तक	120
	(ख) प्रिंटिंग प्रेस जिसकी क्षमता 5 से अधिक हार्स पावर की मशीन पर	150
16.	(क) गोली व बारूद की दुकान पर	70
	(ख) स्प्रिट या मिट्टी तेल की दुकान पर	70
18.	मेडिकल प्रैक्टिसनर/मेडिकल स्टोर	500

परिवहन

19.	माल वाहन ट्रांसपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन के)	1000
20.	माल वाहन ट्रांसपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	1500
21.	टूर एवं ट्रैवल्स एजेन्सी (बिना वाहन के)	500
22.	टूर एवं टैक्सी एजेन्सी (वाहन सहित)	1000
23.	प्रत्येक टैक्सी/मिनी बस परिवहन यूनियन्स/समिति	1000
24.	प्रत्येक यात्री बस परिवहन यूनियन्स/समिति	2000
25.	प्रत्येक ट्रैक एवं टूर ऑपरेटर्स एजेन्सी पर	500
26.	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स एवं सर्विस सेन्टर पर)	5000
27.	दुपहिया वाहन एजेन्सी (सेल्स एवं सर्विस सेन्टर पर)	2500

व्यवसायिक संस्थान

28.	प्रत्येक फाईनेन्स/चिट फण्ड कम्पनियां	2000
29.	प्रत्येक इन्श्योरेन्स कम्पनी की प्रति शाखा पर	1000
30.	गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर	
	(क) प्राथमिक स्तर तक	500
	(ख) माध्यमिक स्तर तक	1000
	(ग) उच्च स्तर तक	2000
31.	गैर सरकारी व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों पर	3000
32.	कोचिंग सेन्टर/ट्यूशन प्वाईंट आदि पर	1000
33.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	
	(क) जिसमें 1 से 5 तक कम्प्यूटर हों	1000
	(ख) जिसमें 5 से अधिक कम्प्यूटर हों	1500

फेरी व्यवसाय

34.	फेरी व्यवसाय कपड़ा पर	300
35.	फेरी व्यवसाय बर्तन पर	400
36.	फेरी व्यवसाय कैसमीलोन, ऊन आदि पर	300
37.	फेरी व्यवसाय चूडी, बिन्दी, प्याले, आचार, फूल, गमले	200
38.	फेरी प्लॉस्टिक आदि पर	400
39.	फेरी व्यवसाय सोना, चांदी आभूषण	300
40.	फेरी रद्दी व्यवसाय	300
41.	फेरी व्यवसाय वादर, दरी, कम्बल आदि	300
42.	फेरी गैस चूल्हा, स्टोव आदि मरम्मत	300

मांस/मुर्गा/मछली/अण्डे विक्रय व्यवसाय

43.	मांस विक्रय दुकान जो जनपद मुख्यालय के 3 कि0मी0 ग्रामीण क्षेत्र की परीधि पर बेचते हों	4000
44.	मांस विक्रय दुकान (जनपद के तहसील/विकास खण्ड मुख्यालयों पर)	300
45.	मांस विक्रय दुकान अन्य क्षेत्रों	2000

17. (क) कताई बुनाई लघु उद्योग पर 100
(ख) हथ करगा लघु उद्योग प्रति पर 40
18. (क) टेलीविजन, डिस्क की दुकान पर 400
(ख) टेलीविजन सहित घड़ी, रेडियो की दुकान 300
19. (क) आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले टूरिस्ट, लॉज होटल जिसमें एक दिन में दस आदमी तक रह सकते हैं 200
(ख) गढ़वाल मण्डल विकास निगम के प्रति विश्राम गृह पर लाई0 शुल्क 1000
(ग) ऐसे टूरिस्ट लॉज व होटल जिसमें एक दिन में दस व्यक्ति से अधिक 20 तक रहते हों 300
(घ) ऐसे टूरिस्ट लॉज होटल जिसमें 20 व्यक्ति से अधिक रहते हों 500
20. लघु एवं कुटीर उद्योग
(क) भूमि अथवा नदी, नालाओं के किनारों से खनिज वस्तु निकालने व बेचने पर 6000
(ख) कृषि कार्य के प्रयुक्त होने वाले सामग्री के निर्माण एवं बिक्री पर 70
(ग) अन्य कुटीर उद्योग जैसे फल पेटी, आलू के चिप्स बनाने, जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार आदि पर 70
(घ) मिट्टी से ईंट बनाने वाले भट्टों या प्रत्येक भट्टों पर 3000
21. देशी व विदेश मदिरा की दुकान पर मदिरा बिक्री करने पर
(क) जनपद मुख्यालय से 5 कि0मी0 परिधि के ग्रामीण क्षेत्र में बिक्री करने पर 12000
(ख) जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा को बिक्री करने पर प्रति दुकान 6000

नोट– जिला पंचायत से मदिरा की दुकानों पर व्यवसाय लाईसेन्स जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा वार्षिक नीलामी के समय ठेका स्वीकृत करने के पूर्व मांगा जाना अनिवार्य होगां।

22. (क) बैण्ड मास्टर की दुकान पर 150
(ख) बैण्ड हाऊस की दुकान पर 150
23. स्टोव, गैस मरम्मत की दुकान पर 60
24. माईक जो किराये पर देता है, या लाउडस्पीकर की दुकान पर 60
25. (क) आटा, धान, तेल, चावल, आदि मशीन पर (1 से 5 हार्स पावर) 100
(ख) 5 से 10 हार्स पावर मशीन पर 150
(ग) 10 से 15 हार्स पावर की दुकान पर 200
26. खुले सीमेन्ट विक्रेता की दुकान पर 300
27. (क) साईकिल मरम्मत की दुकान पर 60
(ख) साईकिल बिक्री की दुकान पर 150
46. मछली एवं मुर्गे बिक्री के व्यवसाय पर 1000
47. अण्डों की दुकान पर 200
48. प्रत्येक पोल्ट्री फार्म पर 1000

क्रमांक 43, 44, 45 एवं 46 पर अंकित व्यवसाय हेतु लाईसेन्स उपविधि संख्या 8 के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

लघु एवं कुटीर उद्योग, स्वरोजगार व्यवसाय

49. कताई बुनाई लघु उद्योग पर 500
50. हथ करगा लघु उद्योग प्रति पर 300
51. लोहार या टमटा की दुकान पर 200
52. भूमि अथवा नदी, नालाओं के किनारों से खनिज वस्तु निकालने व बेचने पर 10000
53. कृषि कार्य के प्रयुक्त होने वाले सामग्री के निर्माण एवं बिक्री पर 200
54. अन्य कुटीर उद्योग जैसे फल पेटी, आलू के चिप्स, नमकीन, जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार धूप/अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन आदि पर 200
55. मिट्टी से ईंट बनाने वाले प्रत्येक भट्टों पर 5000
56. आटा, पिसाई, धान कुटाई, तेल पिराई की मशीन पर
(क) 1 से 5 हार्स पावर 300
(ख) 5 से अधिक 10 हार्स पावर मशीन पर 500
(ग) 10 से 15 हार्स पावर की दुकान पर 800
57. लोहा वैल्डिंग कार्य (ग्रिल, चौखट निर्माण आदि) 500
58. टिन के सामान (बक्सा, अगेठी, ड्रम आदि) बनाने वाली दुकान 300
59. गेहूँ/धान आदि फसल कटाई/मढ़ाई के मशीन पर जिसका व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा हो 400
60. मिठाई के डिब्बे, पत्तल/दोनों आदि बनाने वाली दुकान पर 200
61. रूई धुनाई, रजाई, गद्दा भराई की दुकान पर 500
62. बिस्कुट बैकरी की दुकान पर 300
63. दुग्ध व्यवसाय
(क) 1 से 20 लीटर तक दूध बेचने पर 300
(ख) 20 से अधिक लीटर तक दूध बेचने पर 500

मनोरंजन/दूरसंचार व्यवसाय

64. सिनेमा घर 3000
65. वीडियों हॉल पर 1000
66. वीडियों/सी0डी0/डी0वी0डी0 लाईब्रेरी 500
67. केबिल ऑपरेटर
(क) 1 से 500 कनेक्शन तक 1000
(ख) 500 से ऊपर 1000 कनेक्शन तक 1500
(ग) 1000 से ऊपर कनेक्शन 2000
68. टेलीविजन डिस्क की दुकान पर 1000

28.	टेन्ट हाऊस की दुकान पर	200
29.	रूई धुनाई, रजाई/गद्दा भराई की दुकान पर	150
30.	एस0टी0डी0 प्रति दुकान पर	200
31.	अण्डों की दुकान पर	70
32.	मिठाई बनाने वाले डिब्बे आदि	70
33.	फोटो स्टेट मशीन पर	100
34.	जो दूध बेचते हैं	
	(क) 1 से 20 लीटर तक के लिए	100
	(ख) 20 से 50 लीटर तक के लिए	
35.	मावा बेचने वाले गुज्जर या अन्य व्यापारी	300
36.	सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान पर	100
37.	बिस्कुट बेकरी की दुकान पर	80
38..	फलों के जूस बेचने वाले पक्की दुकान	100
69.	टेलीविजन सहित घड़ी, रेडियों, फ्रिज एवं होम एप्लाईनसेस उपकरणों की दुकान	600
70.	रेडियों, घड़ी, टी0वी0 आदि इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत की दुकान पर	500
71.	प्रत्येक मोबाईल सेवा प्रदत्ता कम्पनी पर	5000
72.	मोबाईल, मोबाईल ऐसेसरिज बिक्री/मरम्मत आदि की दुकान पर	400
73.	केबल मोबाईल रिचार्ज बिक्री की दुकान पर	200
	अन्य व्यवसाय	
74.	प्रत्येक कपड़ा/परचून आदि सम्मिलित दुकान पर	500
75.	केवल कपड़े की दुकान पर	500
76.	प्रत्येक सम्मिलित दुकान पर	500
77.	बिसातखाने की दुकान पर	200
78.	नाई जिसकी दुकान पर एक कर्मी कार्य करता हो	200
79.	नाई जिसकी दुकान पर दो या दो से अधिक कर्मी कार्य करते हों	400
80.	ब्यूटी पार्लर	300
81.	ब्यूटी पार्लर जो कॉस्मैटिक का सामान भी बेचते हों	400
82.	कॉस्मैटिक सामान की दुकान पर	500
83.	फर्नीचर की दुकान पर	500
84.	धोबी	300
85.	ड्राईक्लीन की दुकान पर	400
86.	फोटोग्राफर, फोटो लैमीनेशन, फोटो स्टूडियो आदि	350
87.	टेलर्स की दुकान (जिसमें केवल एक कारीगर कार्य करता हो)	200
88.	टेलर्स की दुकान (जिसमें दो या तीन कारीगर कार्य करते हों)	400
89.	टेलर्स की दुकान (जिसमें तीन से अधिक कारीगर कार्य करते हों)	500
90.	सब्जी की दुकान जो ठेली/कच्चे खोखे पर संचालित हों	200
91.	सब्जी की दुकान जो पक्की एवं बड़ी हो	400
92.	पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान पर	200
93.	फल, फ्रूट एवं जूस की दुकान जो ठेली पर संचालित हो	300

101. लोहा, पीतल, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, प्लॉस्टिक के बर्तनों की दुकान पर
102. जूते, चप्पल, सैन्डिल आदि की दुकान पर
103. ईधन हेतु जलाऊ लकड़ी, कोयले विक्रय की दुकान पर
104. पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय पम्प पर
105. मिट्टी के तेल एवं अन्य डिपों/पम्प पर
106. गैस वितरण एजेन्सियों पर
107. साईकिल बिक्री की दुकान पर
108. साईकिल मरम्मत की दुकान पर
109. स्टोव, गैस, सिलाई मशीन आदि मरम्मत की दुकान पर
110. मोटर साईकिल/स्कूटर आदि दोपहिया वाहन मरम्मत/सर्विसिंग की दुकान पर
111. मोटर वर्कशाप (जीप/गाड़ी/बड़े वाहन आदि)
112. टायर पंचर मरम्मत/टायर हवा की दुकान पर
113. बिजली के सामान एवं मरम्मत की दुकान पर
114. इलैक्ट्रिकल्स वर्कशाप (मोटर, बैटरी, इन्वर्टर आदि मरम्मत कार्य)
115. आरा मशीन की दुकान पर
116. प्रिंटिंग प्रेस (1 से 5 हार्स पावर तक)
117. प्रिंटिंग प्रेस (5 हार्स पावर से अधिक)
118. गोली/बारूद की दुकान पर
119. सीमेन्ट, सरिया, ईंट विक्रेता की दुकान पर
120. मकान सम्बन्धी सामग्री विक्रेता, हार्डवेयर/सेनेट्री/पेन्ट आदि की दुकान पर
121. मकान निर्माण सम्बन्धी सामग्री किराये पर देने वाली दुकान (सैटरिंग का सामान आदि)
122. सब्जी/फल के बीज/पौध, दवाई, कृषि उपकरण बिक्री की दुकान पर
123. प्राईवेट वाहन पार्किंग पर
124. कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर का सामान बिक्री/मरम्मत की दुकान पर
125. कम्प्यूटर जॉब वर्क
126. माईक, लाउडस्पीकर आदि साउण्ड सर्विस की दुकान पर जो संयंत्र किराये पर भी देता है
127. डी0जे0 साउण्ड, बिस्तर, जनरेटर किराये पर देने वाली दुकान/व्यक्ति पर
128. टैण्ट ,हाऊस/कैटरिंग आदि

129. बारात घर/मनोरंजन क्लब आदि	500
130. बैण्ड मास्टर की दुकान पर	500
131. बैण्ड हाऊस की दुकान पर	500
132. एस0टी0डी0 की दुकान पर	200
133. एस0टी0डी0 की दुकान जिस पर फोटो स्टेट, फैक्स आदि अन्य भी हों	300
134. फोटो स्टेट की दुकान पर	300
135. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर	300
136. प्रत्येक घोड़ा/खच्चर पर	
(क) यात्रा व्यवस्था कुली एजेन्सी में	400
(ख) अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में	200
137. प्रत्येक कबाड़ी की दुकान पर	500
138. जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में हड्डी खाल इकट्ठा कर बिक्री करने पर	10000
139. भवन निर्माण पर	
(क) सीमेन्ट चिनाई कुशल श्रमिक	500
(ख) सीमेन्ट चिनाई अकुशल श्रमिक	300
(ग) लकड़ी काष्ट कुशल श्रमिक	500
(घ) लकड़ी काष्ट अकुशल श्रमिक	300
(च) पेन्टर	400
(छ) पल्मबर	400
(ज) बिजली फिटिंग आदि का कार्य का श्रमिक	400
देशी/विदेश मदिरा व्यवसाय	
140. देशी व विदेशी मदिरा, बियर की बिक्री दुकान/गोदाम पर	
(क) जनपद मुख्यालय से 5 कि0मी0 परिधि के ग्रामीण क्षेत्र में बिक्री करने पर प्रति दुकान	15000
(ख) जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री करने पर प्रति दुकान	10000
(ग) देशी/विदेशी मदिरा/बियर के गोदामों पर	10000

नोट–जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों की वार्षिक नीलामी के समय ठेका स्वीकृत करने से पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जिला पंचायत द्वारा निर्गत व्यवसाय लाईसेन्स मांगा जाना अनिवार्य होगा। बिना जिला पंचायत व्यवसाय लाईसेन्स का ठेका स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

जिला उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण बाजारों में लाये जाने वाले सामान व ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर ले जाने वाले वाहनों/जानवरों 1.00 रु0 प्रति कुन्तल या 30.00 रु0 अनुमति शुल्क अदा करना होगा।

उपविधि संख्या 6– जिला पंचायत, उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार का सामान जो बिक्री हेतु व्यवसायिक प्रयोग, ठेकेदारी उपयोग के लिए लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर ले जाने वाले मालवाहनों/जानवरों पर टोल टैक्स शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है जो जिला

उपविधि संख्या (1)

उपविधि संख्या (क)

(ख) लाईसेन्स जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के नियम 101 के तहत स्वीकृत प्रपत्र संख्या 15 में जारी किया जायेगा।

(1) नये लाईसेन्स निर्गत करने वाले के लिये अथवा पुराने लाईसेन्स का नवीनीकरण करने के लिये 300

(2) पुराने लाईसेन्स अथवा नये लाईसेन्स को बनाने को भी 300

(3) प्रत्येक लाईसेन्स एक वर्ष की अवधि के लिए होगा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जायेगा।

(घ) लाईसेन्स शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

(ङ) उपनियम सं0 2– वर्तमान उपविधि संख्या 2, 3, 4 एवं 5 के स्थान पर संशोधित उपनियम इस प्रकार होगा–

(क) इच्छुक ठेकेदार, फर्म या संस्था जो जिला पंचायत के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए ठेका लेना चाहे, उसे अपना नाम जिला पंचायत में पंजीकरण करवाना होगा।

(ख) पंजीकरण हेतु निम्नानुसार श्रेणियां आरक्षित धनराशि के अनुसार होंगी:–

श्रेणी	आरक्षित धनराशि	ठेके की मूल्यांकन सीमा
प्रथम	10,000.00	किसी भी मूल्य के ठेके के लिये
द्वितीय	5,000.00	2.50 लाख तक के ठेके की कीमत के लिये
तृतीय	3,000.00	1.50 लाख तक के ठेके की कीमत के लिये

(क) प्रत्येक छोटे/हल्का मालवाहन से 30.00

(ख) प्रत्येक बड़े/भारी मालवाहन से 60.00

उपविधि संख्या 7– जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के सम्पादन करने वाले विभिन्न ठेकेदारों तथा जिला पंचायत में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का ठेका लेने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण एवं लाईसेन्स शुल्क निर्धारण निम्न उपनियमों के अन्तर्गत किया जावेगा :–

उपनियम संख्या 1–

(क) कोई भी व्यक्ति, फर्म संस्था आदि जो जिला पंचायत, उत्तरकाशी के कार्यों का ठेका लेना चाहे तथा अन्य ठेकेदार को जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी विभाग तथा संस्था में किसी प्रकार के सार्वजनिक निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का कार्य सम्पादन करते हों, को इन उपविधियों के अनुसार निर्माण/मरम्मत कार्य करने का ठेकेदारी लाईसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

(ख) लाईसेन्स जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के नियम 101 के तहत स्वीकृत प्रपत्र संख्या 25 में कार्याधिकारी अथवा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत जिला पंचायत के अन्य किसी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ग) लाईसेन्स शुल्क की दर प्रति वर्ष निम्न प्रकार होगी–

(i) नये लाईसेन्स निर्गत करने वाले के लिए – 550

(ii) पुराने लाईसेन्स का नवीनीकरण करने के लिए – 550

(घ) जिला पंचायत से लाईसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति, फर्म एवं संस्था को प्रतिवर्ष अपना लाईसेन्स का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(ङ) जिला पंचायत द्वारा निर्गत लाईसेन्स की वैधता एक वर्ष की होगी जो वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जायेगी।

(च) जमा किया गया लाईसेन्स शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

उपनियम संख्या 2– कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि जो जिला पंचायत, उत्तरकाशी के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का ठेका निम्न उपनियमों के अधीन ले सकते हैं:–

(क) इच्छुक ठेकेदार, फर्म या संस्था जो जिला पंचायत के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए ठेका लेना चाहे, उसे अपना नाम जिला पंचायत में पंजीकरण करवाना होगा। जिस हेतु निर्धारित शुल्क रु0. 500.00 जमा करना होगा।

(ख) पंजीकरण हेतु निम्नानुसार श्रेणियां आरक्षित धनराशि के अनुसार होंगी :–

श्रेणी	जमानत धनराशि	ठेके की मूल्यांकन सीमा
प्रथम	20,000.00	किसी भी मूल्य के ठेके के लिये
द्वितीय	10,000.00	3.50 लाख मूल्य तक के ठेके के लिये
तृतीय	5,000.00	2.50 लाख मूल्य तक के ठेके के लिये

	इन उपविधियों के पारित होने से पूर्व जो ठेकेदार विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जिला पंचायत में पंजीकृत है, को उनकी श्रेणी हेतु नवीन निर्धारित आरक्षित धनराशि के अनुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि जमा करनी होगी। अतिरिक्त धनराशि जमा होने पर ही उनका पंजीकरण वैध माना जायेगा।
(ग)	(ग) जिला पंचायत में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के ठेके लेना/करने के लिए उपविधि सं0 9 के अनुसार निर्धारित प्रार्थना–पत्र के प्रारूप पर समस्त औपचारिकताओं के साथ अध्यक्ष अथवा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी को प्रस्तुत करना होगा जो अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था को इस निमित समस्त औपचारिकताओं के पश्चात् पंजीकृत की स्वीकृति प्रदान करेंगे। आवेदन–पत्र जिला पंचायत कार्यालय में रु0 10.00 नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।
नोट–उक्त आवेदन–पत्र जिला पंचायत कार्यालय में रु0 10.00 नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।	
(घ) जिला पंचायत, उत्तरकाशी में निर्माण/मरम्मत के अधीन पंजीकृत ठेकेदारों/संस्थाओं/फर्मों को दिया जायेगा। किन्तु विशेष परिस्थितियों में ग्राम सभाओं के लिये इस उपनियम से जिला पंचायत छूट प्रदान करने के लिए सक्षम होगी।	(घ) जिला पंचायत, उत्तरकाशी में निर्माण/मरम्मत के अधीन पंजीकृत ठेकेदारों/संस्थाओं/फर्मों को ही निर्माण/मरम्मत कार्यों का ठेका दिया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायतों के लिये इस उपनियम से जिला पंचायत छूट प्रदान करने के लिए सक्षम होगी।
(ङ) पंजीकरण की अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी और अवधि से पूर्व आरक्षित धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।	(ङ) पंजीकरण की अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी और अवधि से पूर्व आरक्षित धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
	(च) पंजीकृत ठेकेदार/संस्था/फर्म के लिखित प्रार्थना–पत्र पर अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी उनकी श्रेणी में परिवर्तन कर सकेंगे किन्तु परिवर्तित श्रेणी के अनुसार जमानत धनराशि के अन्तर की धनराशि ठेकेदार/संस्था/फर्म को जमा करनी होगी।
	(छ) अभियन्ता, जिला पंचायत, उत्तरकाशी पंजीकृत ठेकेदारों की तद्नुसार एक पंजिका रखेंगे जिसमें श्रेणीवार एवं विकासखण्ड के अनुसार पंजीकृत ठेकेदार/फर्म/संस्था का नाम, पूरा पता, श्रेणी, पैन कार्ड नं0 आदि पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।
	(ज) किसी भी दशा में ठेकेदार/संस्था/फर्म को अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा। ऐसी दशा में पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं ठेकेदार द्वारा पंचायत को पहुँचाई गई क्षति की कटौती जमानत धनराशि से की जावेगी। ब्लैक लिस्ट एवं पंजीकरण निरस्त निम्न दशाओं में किया जावेगा :–
	(i) यदि समय जिसमें बढ़ाई गई समयावधि भी शामिल है के अन्दर कार्य पूर्ण न किया जाय।
	(ii) कार्य पूर्ण न करे और नोटिस मिलने पर अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण कार्य को पुनः दिये गये समायान्तर्गत पूरा न करें।
	(iii) बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्लान स्टीमेन्ट के विपरीत कार्य करें।

	(iv) जिस पर गलत ढंग से कार्य करने, कार्यालय द्वारा दिये गये सामान को बेचने आदि के सम्बन्ध में दोष सिद्ध हो जाये। (v) ठेका बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बेचने पर यदि ठेका बेचा जाना सिद्ध हो जाये। (vi) निम्न स्तर की सामग्री प्रयोग करने पर। (vii) पंजीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य सम्पादन के निमित वित्तीय वर्ष का लाईसेन्स शुल्क जमा न होने के दशा में।

उपविधि संख्या 8–बकरी, मुर्गा, संअर का वध करने या उसका मांस बिक्री का लाईसेन्स निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिया जायेगा, व्यवसायिक द्वारा इन शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर नियत लाईसेन्स शुल्क प्राप्त करने के पश्चात् लाईसेन्स केवल अपर मुख्य अधिकारी/कार्याधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी द्वारा जारी किया जावेगा।

शर्त एवं प्रतिबन्ध–

1. क्योंकि भेड़, बकरियों, मुर्गों व सुअर का वध करना व उनका मांस विक्रय करना क्षोभकर व्यवसाय के अन्तर्गत है, इसलिए इस व्यवसाय के लिए दुकान एवं वधशाला बस्ती या किसी निवास से हटकर बनाया जायेगा। जहाँ जिला पंचायत नियत करे।
2. वधशाला इस प्रकार बनायी जायेगी, कि पशुओं के वध आम व्यक्तियों के सामने न हो तथा वध करने पर खून, मल–मूत्र और अनुपयोगी भाग बन्द नाली के द्वारा एक गड्ढे में चला जाये। गड्ढा पक्का हो और कम से कम 3x3x3 मीटर लम्बा, चौड़ा, गहरा ढक्कनदार हो। गड्ढे की बनावट ऐसी हो कि बदबू या दुर्गन्ध न आने पाये इसके लिए नल लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
3. वधशाला एवं दुकान नदी नाले के किनारे से कम से कम 500 मीटर दूर हो और दुकान अथवा वधशाला की नाली नदी नाले की तरफ न आती हो।
4. दुकान जालीदार हो ताकि मक्खियों आदि से गोश्त गन्द न किया जा सके और गोश्त अस्वस्थ न हो।
5. भेड, बकरी, सुअर, मुर्गों आदि का गोश्त विक्रय के लिए मारने से पहले स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से पशु के स्वस्थ होने व गोश्त/मांस खाने योग्य होने का प्रमाण–पत्र प्रत्येक पशुओं के लिए प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
6. व्यवसायियों द्वारा लाईसेन्स के लिए आवेदन निम्न प्रकार प्रारूप पर किया जायेगा :–

प्रार्थना–पत्र प्रारूप

फोटो

(1) व्यवसायकर्ता का नाम _____

(2) पिता का नाम _____

(3) मूल स्थायी पता _____

(4) वर्तमान पता _____

(5) किस स्थान पर व्यवसाय करना चाहता है : _____

(6) क्या लाईसेन्स के लिए उल्लेखित सभी शर्तों को पूर्ण करता है : _____

(7) क्या व्यवसायकर्ता के पास व्यवसाय हेतु अपना भवन है अथवा किराये का भवन है : _____

यदि किराये का भवन है तो क्या वधशाला एवं मांस विक्रय पर मकान मालिक या पडोसी को तो कोई आपत्ति नहीं है

(यदि नहीं तो मकान मालिक एवं पडोसियों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

(8) प्रस्तावित स्थान नदी नाले से कितना दूर है _____

(9) क्या गढ़ उल्लेखित शर्तों के अनुसार बना है _____

घोषणा

मैं _____ शपथ पूर्वक प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी ज्ञान एवं विश्वास में पूर्ण रूप से सही है। उपरोक्त कोई सूचना गलत पाये जाने पर विभाग मेरा लाईसेन्स निरस्त कर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। जिसमें मुझे कुछ कहने का अधिकार न होगा।

दिनांक _____ आवेदक के हस्ताक्षर _____

पूरा पता _____

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति _____

अपर मुख्य अधिकारी के आदेश _____

उपविधि संख्या 9–जिला पंचायत के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के ठेके लेना/करने के लिए ठेकेदारी पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार होगा :–

* प्रार्थना–पत्र प्रारूप *

(ठेकेदार लाईसेन्स हेतु आवेदन–पत्र/रु0 10.00 जो विक्रय योग्य है)

1. आवेदक का नाम _____
2. पिता का नाम _____
3. स्थाई पता : ग्राम/कस्बा _____ पोस्ट _____ तहसील _____ थाना _____ जिला _____ राज्य _____
4. वर्ष जिसके लिये लाईसेन्स चाहिये _____
5. लाईसेन्स के लिए निर्धारित धनराशि रु0 _____ जमा करने को सहमत/असहमत हूँ।
6. विगत वर्ष का लाईसेन्स नं0 दिनांक 20
7. हैसियत/चरित्र प्रमाण–पत्र की एक फोटो प्रति एवं दो पासपोर्ट साईज की फोटो (संलग्न करना अनिवार्य है)।

फोटो

दिनांक _____

आवेदक के हस्ताक्षर

लाईसेन्स अधिकारी महोदय,

उपरोक्त आवेदक को वर्ष _____ के लिए ठेकेदारी व्यवसाय हेतु लाईसेन्स निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

लाईसेन्स लिपिक,
जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

उपरोक्तानुसार वर्ष _____ के लिए लाईसेन्स निर्गत कर रु0 _____ सम्पत्ति एवं विभव कर भी जमा करवायें।

लाईसेन्स निर्गत अधिकारी,
जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

उपरोक्त आवेदक/ठेकेदार का लाईसेन्स नं0 दिनांक _____ निर्गत किया।

लाईसेन्स लिपिक,
जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

दण्ड	दण्ड
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, उत्तरकाशी यह आदेश देती है, कि कोई भी व्यक्ति जो इन उपनियमों/उपविधियों का उल्लंघन करेगा उसको अर्थ दण्डित किया जायेगा जो रुपये 250.00 तक हो सकेगा। जब तक ऐसा उल्लघंन जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड से दण्डनीय होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 10.00 प्रतिदिन हो सकता है अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन माह तक हो सकेगा। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार उपनियमों के उल्लंघन का अपराध प्रश्रय (कागनेजिविल) होगा और राजीनामा योग्य होगा।	उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, उत्तरकाशी यह आदेश देती है, कि कोई भी व्यक्ति जो इन उपनियमों/उपविधियों का उल्लंघन करेगा उसको अर्थ दण्डित किया जायेगा जो रुपये 250.00 तक हो सकेगा। जब तक ऐसा उल्लघंन जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड से दण्डनीय होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 10.00 प्रतिदिन हो सकता है अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन माह तक हो सकेगा। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार उपनियमों के उल्लंघन का अपराध प्रश्रय (कागनेजिविल) होगा और राजीनामा योग्य होगा।

सोहन लाल गैरोला,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

अजय सिंह नबियाल,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/406–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।